दस्तक अभियान

10 से 24 मार्च 2021

घर-घर भ्रमण के दौरान पात्र लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड बनवाने हेतु सहयोग

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना
आयुष्मान भारत
PM-JAY

प्रदेश में "आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना" का शुभारम्भ 23 सितंबर, 2018 को किया गया। "आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना" का लाभ एस.ई.सी.सी.–2011 की पात्रता सूची में चिन्हित 1.18 करोड़ परिवारों एवं "मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान" का लाभ एस.ई.सी.सी.–2011 की पात्रता सूची से वंचित लगभग 8.43 लाख परिवारों को मिल रहा है। दोनों योजनाओं को मिलाकर प्रदेश के 6.32 करोड़ से अधिक व्यक्तियों को सेकेंडरी एवं टर्शियरी स्तर की निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं।

योजना की विशेषताएं:

- प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रूपए तक के निःशुल्क उपचार की सुविधा।
- आयुष्मान कार्ड जन सेवा केंद्र अथवा सूचीबद्ध चिकित्सालयों में निःशुल्क बनाने की सुविधा।
- केवल भर्ती मरीजों को ही सूचीबद्ध सरकारी अथवा प्राइवेट अस्पताल में निःशुल्क उपचार की सुविधा।
- गंभीर बीमारियों जैसे हृदय रोग, किडनी रोग, घुटना प्रत्यारोपण, कैंसर, मोतियाबिंद, हार्निया, हाईड्रोसील एवं अन्य सर्जरी इत्यादि का उपचार सम्भव।
- योजना के अंतर्गत प्रदेश के 2600 से भी अधिक ख्याति प्राप्त अस्पताल पैनल में सम्मिलित।
- देश के अन्य राज्यों के सूचीबद्ध चिकित्सालयों में भी इलाज की सुविधा।
- इलाज के दौरान मरीज द्वारा अस्पताल को कोई भुगतान नहीं करना पड़ता है।
- इलाज के दौरान सभी जांचें जैसे की एक्सरे/अल्ट्रासाउण्ड, दवा का खर्च एवं डिस्चार्ज के बाद 15 दिन तक की दवा निःशुल्क दिए जाने का प्राविधान है।
- चिन्हित परिवारों के सदस्यों की संख्या तथा आयु सीमा का कोई बंधन नहीं।
- बालिकाओं, महिलाओं एवं वरिष्ठ नागरिकों को प्राथमिकता।
- पूर्व से चली आ रही पुरानी बीमारियों का इलाज भी संभव है।
- पात्रता की जांच हेतु टोल फ्री नंबर 1800 1800 4444 या 14555 पर कॉल करके अथवा वेबसाइट mera.pmjay.gov.in द्वारा भी की जा सकती है।
- मरीजों की सहायता हेतु सूचीबद्ध अस्पतालों में प्रधानमंत्री-आरोग्य मित्रों की तैनाती।

unicef for every child | World Health Organization India | PATH | स्वच्छ भारत | बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ | National Health Mission | उत्तर प्रदेश सरकार